

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

--: कार्यालय आदेश ::--

का०आ०सं०-1/स्था०(मु०)-01/2023-28

पटना, दिनांक-26/2/2026

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पत्रांक-WCDC/1526/23 दिनांक-16.06.2023 तथा श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना के पत्रांक-2025 दिनांक-24.07.2023 के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन (मु०) के स्तर पर कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवाई हेतु आन्तरिक परिवाद समिति/शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	पद	मोबाईल नं०	ई०-मेल
1.	श्रीमती अमृता कुमारी, उप निदेशक(नियोजन), पटना प्रमंडल, पटना	अध्यक्ष	7765929337	Amrita81singh@gmail.com
2.	सुश्री संजू रानी, उप सचिव	सदस्य	9835434068	Sanju_rani@bihar.gov.in
3.	श्री राजेश कुमार सहायक निदेशक	सदस्य	9905699144	Rajesh.kumar13@bihar.gov.in
4.	श्रीमती प्रियंका वर्मा, सहायक निदेशक, दिव्यांगजनों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना	सदस्य	9304018079	lpverma0612@gmail.com
5.	श्रीमती गुंजन बिहारी, Gender Specialist, शांति सदन, 165/B पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पिन-800013	बाह्य सदस्य	9473199065	gbihari@c3india.org

2. अधिनियम, 2013 के सुसंगत धाराओं के प्रावधानानुसार समिति का कार्यकाल मनोयन की तिथि से 03 वर्षों का होगा एवं बाह्य सदस्य को समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अधिनियम-2013 की धारा-4(4) के अनुसार शुल्क एवं भत्ता देय होगा।

3. समिति तीन माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा विहित प्रावधानों के आलोक में स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सही कदम उठायेगी। साथ ही समिति सभी कर्मियों खासकर महिला कर्मियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने का भी कार्य करेगी। समय-समय पर महिला एवं बाल विकास निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यशाला/दंडक/प्रशिक्षण आदि में भी भाग ले सकगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्था०(मु०)-01/2023-284

पटना-01, दिनांक-26/2/2026

प्रतिलिपि-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, द्वितीय तल, इंदिरा भवन, बेली रोड, पटना/उप सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना /नामित अध्यक्ष एवं सभी सदस्य नियोजन (मु०), बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।